न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 19 / 2019

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–

1. रामसिंह पुत्र जेठूसिंह जाति राजपूत निवासी स्कूल के पीछे कुशीप (सिवाना) (मैसर्स दलाराम फूसाजी मुख्य बाजार सिवाना जिला बाड़मेर का मैनेजर)
2. दलाराम पुत्र फूसाराम निवासी सुथारों का वास सिवाना (मैसर्स दलाराम फूसाजी मुख्य बाजार सिवाना जिला बाड़मेर का मालिक)
3. दीपक कुमार पुत्र दलीचन्द निवासी मोचियों का वास, सिवाना जिला बाड़मेर (मैसर्स फैमी प्रोडक्ट सिवाना जिला बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(i) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री जितेन्द्र दवे, अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 22.02.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(i) के उल्लंघन के फलस्व[illegible] 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के [illegible] प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य [illegible] है कि अप्रार्थीगण की फर्म **मैसर्स दलाराम फूसाजी [illegible] बाजार सिवाना जिला बाड़मेर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:01:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पर निरीक्षण दिनांक **31.10.2018** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर ब्राण्ड फेमी (500 ग्राम)** जो कि एक कट्टे में लगभग 15 किलोग्राम भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार दो किलोग्राम **हल्दी पाउडर ब्राण्ड फेमी (500 ग्राम)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–959** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर ब्राण्ड फेमी (500 ग्राम)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर ब्राण्ड फेमी (500 ग्राम)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(i) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा समुचित अवसर प्रदान करने के बावजूद कोई जवाब प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रस्तुत परिवाद पर बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **20.12.2018** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नही की गई और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद [illegible] के रूप मे जवाब प्रस्तुत किया है। इससे जाहिर है [illegible] खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना मिथ्याछाप पाये [illegible] नही है। ऐसे मे अप्रार्थी को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार [illegible] समुचित अवसर प्रदान किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:01:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

के बावजूद भी जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नही करना उसकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(i) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 25,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:01:32 IST
Reason: SelfAttested